प्रोटेम स्पीकर

[स्रोत: द हिंदू](#)

भारतीय राष्ट्रपति ने **भर्तृहरि महताब** को **18वीं** [लोकसभा](#) के *?????-??? ???????* के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें शपथ दिलाई है।

- प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **संविधान** के **अनुच्छेद 95(1)** के तहत की जाती है, जो अध्यक्ष के चुनाव तक उसके कर्त्तव्यों का पालन करता है।
- *?????-???* एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है **"फिलहाल के लिये"**।
- ***?????-??? ???????*** को नव निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः सदन के **सबसे वरिष्ठ सदस्य** को *?????-??? ???????* नियुक्त किया जाता है।
- जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो *?????-???* स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।
- **प्रोटेम स्पीकर के कर्त्तव्य:**
  - *?????-???* स्पीकर लोकसभा की **पहली बैठक** की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है।
  - स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये वोटिंग का संचालन करता है। वह फ्लोर टेस्ट भी आयोजित करता है।

लोकसभा अध्यक्ष

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

लोकसभा का संवैधानिक/औपचारिक प्रमुख जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है

लोकसभा के लिये जैसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होता है वैसे ही राज्यसभा हेतु सभापति/उपसभापति होता है

भारत में उत्पत्ति

- 1921 (भारत सरकार अधिनियम 1919) प्रेसीडेंट तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के रूप में

> भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) में बदल दिया

निर्वाचन (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों)

- अनुच्छेद 93, भाग V
  - एक साधारण बहुमत द्वारा
  - पुनः निर्वाचन हेतु पात्र

निर्वाचन हेतु मानदंड

- लोकसभा का सदस्य होना चाहिये
- कोई विशेष योग्यता नहीं
- आम तौर पर, सत्ताधारी दल से संबंधित होता है

कार्यकाल:

- 5 वर्ष (अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक)

> लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष/स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है

शक्तियाँ

- लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार; उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी हैं
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है
- गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग/बैठक को स्थगित कर सकता है
- गतिरोध को दूर करने के लिये मतदान करने की शक्ति
- निर्णय करता है:
  - कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं
  - लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता (10वीं अनुसूची के तहत) (यह शक्ति 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से प्रदान की गई)

पद से हटाना (शर्तें)

- यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता/रहती
- उपाध्यक्ष को लिखित त्याग-पत्र
- प्रभावी बहुमत से हटाया जाना

//

और पढ़ें: [लोक सभा अध्यक्ष का कार्यालय]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pro-tem-speaker-1